

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक
संख्या-08/अ०शि०-09-16/2022..... / स्व० कुमारी निर्मला, तत्कालीन
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 एवं
248 (ग) के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2023 से दिनांक 30.06.2023 तक कुल 27 (सताईस)
दिनों का रूपान्तरित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की प्रविष्टि स्व० कुमारी निर्मला की सेवा पुस्त में की जायेगी।

२०/-

(विक्रम विरकर)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक 06.02.2026

ज्ञापांक:-08/अ०शि०-09-16/2022.....186/

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना), भागलपुर /संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ स्व० कुमारी निर्मला,
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर के पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार
जिला-सहरसा, गंगजला चौक, वार्ड संख्या-18/32, कुंवर टोला, भागलपुर, मोबाईल
नं०-8597954576 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)